राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय/2018/ 7092

दिनांकः 30.10.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /18/34310–11 दिनांक 22.10.2018 से पुलिस थाना सुनेल के अभियोग सं0 148/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त आसिफ पिता साबिर अहमद जसति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी महावीर दूध डेयरी के पास बालाकुण्ड थाना दादा बाडी कोटा शहर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.18 को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 मय जाप्ता दौरान तलाश मुलजिमान अकबर, वसीम दादाबाडी बालाकुण्ड पहुंचने पर मुलजिमानो की तलाश की, नही मिलने पर मुताबिक सूचना मुखबिर जाप्ते को अवगत कराकर कोटा से रवाना होकर दुबलिया गांव पहुंचने पर एक व्यक्ति कडोदिया की तरफ जाता नजर आया, जो पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर भागने लगा। जिसको हमराही जाप्ता रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आसिफ पिता साबिर अहमद जसति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी महावीर दूध डेयरी के पास बालाकुण्ड थाना दादा बाडी कोटा शहर का होना बताया। भागने का कारण पूछा तो कोई जवाब नही दिया, उसके पास अवैध वस्तु का संदेह होने पर तलाशी लेने पर एक देशी कटटा लोहा मय एक कारतूस लोड के मिला। जिसको कब्जे मे रखना परिवहन करने का अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 148/18 धारा 3/25 आर्मस एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त देशी कटटा लोहा मय एक कारतूस का आरमोर्रर द्वारा मेकेनिक मुआयना करवाया गया। आरमोर्रर ने बताया कि देशी कटटा 315 बोर का है जो फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। एक लोड कारतूस केएफ 8 एमएम फायर योग्य है जो एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राम सिंह एससी 113 व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड देशी कटटे व कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सीलड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त आसिफ पिता साबिर अहमद जसति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी महावीर दूध डेयरी के पास बालाकुण्ड थाना दादा बाडी कोटा शहर के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड